

I/117488/2022

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ के अन्तर्गत स्थलों पर प्रयोग होने वाले ऑटो-लेवल के रिपेयरिंग/सर्विसिंग कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्मों संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बन्द लिफाफे में दिनांक 22.12.2022 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन दिनांक 22.12.2022 को अपराह्न 14:00 बजे इच्छुक कोटेशन दाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदाकारों (Bidders) के लिए पात्रता मानदंड Annexure-1 में एवं कार्य की सूची एवं विशिष्टियां Annexure-2 में संलग्न है।

नियम एवं शर्तें:-

1. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर ही होनी चाहिए।
2. उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु.22,300/- (रुपया बाईस हजार तीन सौ मात्र) है।
3. फर्म द्वारा Earnest Money Deposit (EMD) रु .500/- (रुपये पांच सौ मात्र) मध्य गंगा मंडल-प्रथम लखनऊ कार्यालय में जमा करना होगा | EMD को Insurance surety Bonds, account payee Demand Draft, Fixed Deposits receipt, Banker's Cheque के रूप में जमा किया जा सकता है | EMD Executive Engineer, Middle Ganga Division-I, CWC Lucknow के पक्ष में जमा करना होगा।
4. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
5. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
6. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
7. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जायेगी।
8. सभी कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 30 दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।
10. शर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।



I/117488/2022

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

11. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. फर्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी गयी होनी चाहिए तथा कोटेशन के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
15. उद्धृत (Quoted) और स्वीकृत राशि के 3% (तीन प्रतिशत) निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) 07 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है। यह गारंटी Insurance surety Bonds, account payee Demand Draft, Fixed Deposits receipt, Banker's Cheque के रूप में जमा किया जा सकता है। Performance Guarantee Executive Engineer, Middle Ganga Division-I, CWC Lucknow के पक्ष में जमा करना होगी।
16. मूल्य केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाएगा।
17. कोटेशन के साथ कोटेदार (Proprietor) के विधिवत हस्ताक्षर मोहर के साथ होना चाहिए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(आशीष अवस्थी)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:

1. लेखानुभाग, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
2. सूचनापट्ट, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
3. केन्द्रीय जल आयोग वेबपोर्टल www.cwc.gov.in.
4. CPP Portal www.eprocure.gov.in

जलतरंग भवन, प्रतापबाग,
अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ.प्र.)
दूरभाष सं.-0522-2322181
फैक्स सं.-0522-2325028
ई-मेल - eemgd1-cwc@gov.in



Jaltarang Bhawan, Pratapbagh,
Aliganj, Lucknow – 226024 (UP)
Phone: 0522-2322181
Fax No: 0522-2325028
E-mail: eemgd1-cwc@gov.in

I/117488/2022

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

अनुलग्नक-1**Eligibility Criteria for the Bidders:**

1. The bidder should be registered in India. Signed and scanned copy of the Certificate of Registration is required.
2. The bidder should have executed at least two similar works in Central Govt. /State Govt. / Govt. Undertaking in last five years. Copies of only Work Order/ Experience certificate duly signed by the issuing authority shall be attached.
3. The Contractor must have valid PAN and GST registration at the time of submission of bid (Copy shall be attached).
4. The bidder shall provide undertaking on company's letterhead in respect of following points:
 - a. The bidder should not have been blacklisted/ debarred/ banned by any government department or PSUs during last three years.
 - b. The Bidder should not have any Litigation pending in any court of law.
5. **Preference to Make in India:** The policy of the Govt. of India to encourage "Make in India" and promote manufacturing and production of goods and services in India as per the revised "Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017", circulated by the Department of Promotion of Industry and Internal trade, Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India vide Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 & subsequent revised Order P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 16.09.2020 will be applicable for this tender. Relevant documents and/or undertaking for complying the same may be submitted.
6. Bidder shall comply the OM of Public Procurement Division, DOE, Ministry of Finance issued vide F.N 6/18/2019-PDD dated 23.07.2020 on the subject- Restrictions under rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs) 2017. Relevant documents and/or undertaking for complying the same may be submitted.



I/117488/2022

सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

अनुलग्नक-2**कार्य की सूची एवं विशिष्टियां (Specifications)**

S.No.	Description of items	Qty.(Nos.)	Rate (In figure)	Rate (In words)	Amount(Rs.)
1	Repairing & Servicing of Autolevels (Temporary adjustment (Level screw, tribach plate & trivet plate), Permanent adjustment, Line of collimation, Line of sight, Visibility of cross hair on reticule, Focusing of eyepiece and objective lenses, Removal of parallax, Bubble in spirit level, Horizontal tangent screw, Focusing knob, Removal of zero error in horizontal circle gradation, Compensator mechanism (pendulum prism) etc.	06 Nos.			
2	Transportation charges for Auto levels from the Office of Executive Engineer, CWC, Middle Ganga Division-I, Aliganj, Lucknow to the place of workshop and back to the same office.	01 Job			
Total Amount (In figure)					
Total Amount (In word)					

कोटेशनकर्ता का नाम

हस्ताक्षर (मोहर सहित)

